राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
''कर–भवन'', अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, दिनांक 2.2.10

रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 70 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर यह राय होने पर की लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यासो/नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पलिकाओ द्वारा अचल सम्पति के संबंध में निष्पादित लीजडीड जो पंजीयन के लिए निर्धारित निष्पादन की तिथि से 4 माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन जिनके निष्पादन तिथि से 8 माह का समय व्यतीत नहीं हुआ है, को दिनांक 26.1.2010 से 31.3.2010 तक की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी लीजडीड पर पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 25 के अधीन पंजीयन शुल्क पेटे देय जुर्माने (Fine) का परिहार किया जायेगा।

एफ–7(39)जन/10– 1868

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5)वित्त/कर/10 दिनांक 2.2.10 के आदेश से,

2/2/10

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/09/ 1869 - 2318 दिनांकः 02-02-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से सम्पर्क कर उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशन कराया जावे।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाऍं, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर